कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग रा.रा. संभाग जबलपुर (म.प्र.)
Email: eepwdnhjabalpur@gmail.com Phone No. 0761-2620990

पत्र क्रं. 1522/ तक /रा.रा.45 विस्तार जबलपुर, दिनांक 09/08/2021

वन भूमि में परियोजना लगाने का औचित्य (Justification)

जबलपुर–कुण्डम –शहपुरा–डिण्डोरी विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग कंमाक 45 विस्तार का विद्यमान मार्ग का चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य किया जाना है । परियोजना में जबलपुर जिले के अंतर्गत प्रस्तावित प्रांरभ 0+000 से 160+000 कुल डिजाईन लेंथ 160.100 कि.मी. तक में प्रभावित होने वाली वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है। प्रस्तावित वन भूमि परियोजना निर्माण हेतु उपयोग में लिए जाने का क्या औचित्य है इस विषय के परिपेक्ष निम्नानुसार है :–

चूँकि परियोजना में यातायात की वृद्वि लगातार होती जा रही है, और साथ ही भारी वाहनों की संख्या में भी दिनों दिन वृद्वि होती जा रही है इसीलिए मार्ग का चौडीकरण किया जाना आवश्यक है । मार्ग के चौडीकरण के साथ साथ इस बात का भी ध्यान दिया जा रहा है कि मौजूदा मार्ग में तीव्र घुमावदार मोड हैं एवं पहाडी ढलान/ चढाव काफी तीव्र है जिनसे भारी वाहनों को चढने व उतरने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पडता है और आये दिन दुर्घटना की संभावना बनी रहती है । साथ ही कुछ कस्बों गॉवों में भी विद्यमान मार्ग रेखा में बदलाव कर बायपास प्रस्तावित किये गये है, ताकि गॉवों और कस्बों में लगने वाले जाम तथा दुर्घटना से निजात पाया जा सके ।

अतएव उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब मौके पर विद्यमान मार्ग के चौडीकरण एवं उन्नयन हेतु निरीक्षण करने पर पाया गया कि मार्ग के कुछ हिस्सों में दोनो तरफ वन भूमि लगी हुई है, और यदि मार्ग की उपरोक्त समास्यों का निदान किया जाना है तो निश्चित ही वन भूमि की आवश्यकता पडेगी ।

अतः उपरोक्त के उचित निर्माण हेतु वनभूमि का व्यपवर्तन किया जाना ही एक मात्र विकल्प है जो वन भूमि के व्यपवर्तन के औचित्य सहित प्रेषित है ।

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि.रा.रा. संभाग जबलपुर

LAT128

Scanned with CamScanner